"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 251] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 जून 2017 — आषाढ़ 6, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-41/2017/वाक/पांच (65). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के वर्ग को 27 जून, 2017 से उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिये नियुक्त करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अधिकारियों का वर्ग (2)
1.	राज्य कर आयुक्त
2.	राज्य कर विशेष आयुक्त
3.	राज्य कर अपर आयुक्त
4.	राज्य कर संयुक्त आयुक्त
5.	राज्य कर उपायुक्त
6.	राज्य कर सहायक आयुक्त
7.	राज्य कर अधिकारी
8.	राज्य कर निरीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जून 2017

क्रमांक एफ-10-41/2017/वाक/पांच (65).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-41/2017/वाक/पांच (65), दिनांक 27-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 27th June 2017

NOTIFICATION

No. F-10-41/2017/CT/V (65). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby, appoints the class of officers specified in Column 2 of following table from 27th day of June, 2017, for the implementation of the provisions of the rules made under said Act, namely :-

Table

Serial No. (1)	Class of Officers (2)
1.	Commissioner of State tax
2.	Special Commissioner of State tax
3.	Additional Commissioner of State tax
4.	Jont Commissioner of State tax
5.	Deputy Commissioner of State tax
6.	Assistant Commissioner of State tax
7.	State Tax Officer
8.	Inspector of State tax

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.